02. छत्तीसगढ़ लोक आयोग एवं वशेष अन्वेषण स्थापना

छत्तीसगढ़ लोक आयोग में छ.ग. लोक आयोग अ धनियम 2002 की धारा 2 (घ) व 2 (झ) में परिभा षत शासकीय सेवकों व लोक सेवकों के वरूद्ध धारा 2 (ग) व (ज) में परिभा षत भ्रष्टाचार व अवचार के संबंध में प्राप्त शकायतों की अ धनियम के अंतर्गत व धवत् जांच सम्पन्न कर यथानुसार आरोप स्था पत होने पर प्रतिवेदन शासन को समु चत् कार्यवाही के लये प्रे षत् कया जाता है तथा आरोप स्था पत न होने पर शकायत नस्तीबद्ध की जाती है। इसके अतिरिक्त आयोग में कसी प्रकार की वभागीय योजनायें अथवा कार्यक्रमों आदि का क्रयान्वयन नहीं कया जाता है।

वत्तीय वर्ष **2017-18** का बजट प्रावधान

वत्तीय वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ लोक आयोग के लये बजट प्रावधान के अंतर्गत् रूपये 3,54,65,000 का आबंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आबंटन में से माह नवम्बर 2017 तक कुल रूपये 1,56,04,796 व्यय हुआ है तथा रूपये 1,98,60,204 शेष है। इसी प्रकार वशेष अन्वेषण स्थापना , छ.ग. लोक आयोग के लये रूपये 1,43,87,000 का बजट आबंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आबंटन में से माह नवम्बर 2017 तक कुल रूपये 47,25,292 व्यय हुआ है तथा रूपये 96,61,708 शेष है। लोक आयोग में स्वीकृत पदों में से कतिपय पदों की पूर्ति नहीं होने तथा वशेष अन्वेषण स्थापना में अ धकांश पदों की पूर्ति नहीं होने से आबंटित रा श का पूर्ण व्यय नहीं हो सका है।

वत्तीय वर्ष **2017-18** का बजट प्रस्ताव

वत्तीय वर्ष 2018-19 के लये छत्तीसगढ़ लोक आयोग हेतु रूपये 3,30,50,000 तथा आयोग के अन्तर्गत् वशेष अन्वेषण स्थापना हेतु रूपये 1,16,95,000 का बजट प्रस्ताव की मांग प्रस्ता वत् है।

भर्ती नियम

आयोग गठन के पश्चात् भर्ती नियम नहीं बने थे। कर्मचारियों के भर्ती के संबंध में छ.ग. लोक आयोग कार्यालय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2009 बनाये गये हैं। आयोग की सेवा शर्तें नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण में दिनांक 28.02.2009 को प्रका शत् हुआ है। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की जा चुकी है।

लोक आयोग अ धनियम में संशोधन

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अ धनियम , 2002 (अ धनियम क्रमांक 30) जो क छ.ग. लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अ धनियम 1981 के स्थान पर बनाया गया है। वर्तमान अ धनियम में लोक आयोग को लोक सेवक एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार , कर्तव्यपरायण से वमुखता को दूर करने के लये स्था पत् कया गया है , परन्तु वर्तमान में प्रभावशील अ धनियम में आयोग को जो दायित्व सौंपा गया है उसे पूर्ण करने में कठिनाईयां है जिन्हें दूर करने के लये अ धनियम में संशोधन आवश्यक है।

अ धनियम में आयोग को दिये गये दायित्व के अनुसार परिभा षत् शब्दों में भी संपूर्णता नहीं है तथा पूर्व में छठवी लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की ।स्स् प्छक्प्। ब्व्छथ्म्त्म्छब्म् 2001 में आयोजित हुई थी उसमें पारित प्रस्ताव अनुसार कमेटी द्वारा मॉडल अ धनियम तैयार कर समस्त राज्यों के व ध स चवों को प्रे षत् कया गया था, जो स्वयं में सम्पूर्ण वधान है। चूं क छत्तीसगढ़ राज्य में जो वर्तमान अ धनियम 2002 प्रभावशील है इस लये आयोग को सौंपे दायित्व के उ चत निर्वहन के लये उसमें क्षेत्रा धकार एवं जांच के संबंध में आवश्यक प्रावधान पूर्व में संशोधन हेतु शासन को भेजा गया था।

09-10 अक्टूबर 2010 को अ खल भारतीय लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त सम्मेलन मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन द्वारा आयोजित कया गया। जिसको भारत के तत्कालीन माननीय व ध मंत्री श्री वीरप्पा मोईली द्वारा उद्घाटित कया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री जे.एस. वर्मा , पूर्व मुख्य न्याया धपति , सर्वोच्च न्यायालय एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवा धकार आयोग के द्वारा की गई एवं वशेष अति थ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शवराज संह चैहान थे। इस सम्मेलन में व भन्न राज्यों के लोकायुक्त अ धनियमों के प्रावधान पर सघन वचार करने के पश्चात् एक तीन सदस्यीय स मति का लोकायुक्त मॉडल बिल बनाने के लए गठन कया गया। स मति द्वारा दिसम्बर 2010 में मॉडल लोकायुक्त बिल का प्रस्ताव भारत सरकार माननीय व ध मंत्री को भेजा गया एवं एक-एक प्रति सभी राज्यों के लोकायुक्त को भेजी गई एवं जिसको संबं धत राज्य सरकार के समक्ष पेश कर उसके आधार पर नये अ धनियम बनाने के लये संबं धत सरकार को निवेदन करने के लये लखा गया है जिसके अनुसार मॉडल बिल की एक प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाकर बिल के आधार पर नया अ धनियम बनाने हेतु निवेदन कया गया है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक आयोग संशोधन अ धनियम , 2014 भी शासन को भेजा गया है। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन वभाग का आदेश क्रमांक एफ 3-5/ 2007/1-7 दिनांक 27.05.2014 के द्वारा ‘‘छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) वधेयक, 2014‘‘ में उल्ले खत प्रावधानों का परीक्षण करने एवं अपनी अनुशंसाएं शासन को प्रस्तुत करने हेतु 4 सदस्यीय मंत्री परिषद् की उप स मति गठित की गई है, जो क शासन स्तर पर लंबित है।

लोक आयोग का सेट्अप

आयोग के गठन के समय शासन द्वारा स्वीकृत पद स चव 01 पद, व ध सलाहकार 01 पद, उप स चव के 01 पद, वशेष सहायक 01 पद, लेखा धकारी 01 पद, अनुभाग अ धकारी 01 पद, शीघ्र लेखक-2 का 01 पद, शीघ्र लेखक-3 के 02 पद, सहायक ग्रेड-1 के 02 पद, सहायक ग्रेड-2 के 03 पद, सहायक ग्रेड-3 के 05 पद, वाहन चालक के 03 पद, भृत्य के 09 पद, फर्राश/चैकीदार के 05 पद, स्वीपर का 01 पद (कलेक्टर दर पर) स्वीकृत कया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन वभाग के पत्र दिनांक 23.12.2010 के द्वारा कलेक्टर दर पर स्वीकृत स्वीपर के 01 पद को छोड़कर सभी पदों को स्थायी घो षत कया गया है।

वर्ष 2009-10 में शासन को स्वीकृति हेतु भेजे गये नवीन पद व ध सलाहकार के 02 पद , सत्कार अ धकारी का 01 पद, सहायक लेखा धकारी के 02 पद, अनुभाग अ धकारी के 02 पद, शीघ्र लेखक-2 के 02 पद, शीघ्रलेखक-3 के 02 पद, लाईब्रेरियन/रिकार्ड कीपर का 01 पद, सहायक प्रोग्रामर के 03 पद, सहायक ग्रेड-3 के 03

पद, वाहन चालक के 05 पद, भृत्य के 14 पद, फर्राश/चैकीदार का 01 पद, स्वीपर का 01 पद (कलेक्टर दर पर) एवं तकनीकी शाखा हेतु मुख्य अ भयंता का 01 पद, कार्यपालन यंत्री के 02 पद, सहायक यंत्री के 03 पद एवं तकनीकी सहायक के 03 पद स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।

शासन द्वारा सहायक लेखा धकारी का 01 पद, अनुभाग अ धकारी के 02 पद, शीध्रलेखक-2 के 02 पद, शीध्रलेखक-3 के 02 पद, सहायक लाइब्रेरियन का 01 पद, डाटाएन्ट्री आपरेटर का 01 पद, सहायक ग्रेड-3 के 03 पद, वाहन चालक के 03 पद, भृत्य के 05 पद, फर्राश का 01 पद एवं स्वीपर (कलेक्टर दर पर) 01 पद तथा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन वभाग के ज्ञा. क्र0 एफ 4-1/2008/1-7 दिनांक 19.02.2014 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी के 02 पद को-ट र्मनस की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आयोग द्वारा स्टेनोग्राफर-2 के 02 पद, स्टेनोग्राफर-3 के 02 पद, सहायक ग्रेड-2 के 03 पद, सहायक ग्रेड-3 के 04 पद, वाहन चालक के 06 पद एवं भृत्य तथा फर्राश के 17 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। साथ ही नवीन स्वीकृत को-ट र्मनस के 02 पदों की भी पूर्ति की जा चुकी है। लोक आयोग से संबद्ध वशेष अन्वेषण स्थापना का गठन कया गया है जिसके लये शासन द्वारा पु लस महानिरीक्षक का 01 पद, पु लस अधीक्षक के 02 पद, पु लस उप अधीक्षक के 04 पद, अ भयोजन अ धकारी का 01 पद, पु लस निरीक्षक के 04 पद, पु लस निरीक्षक रीडर का 01 पद, प्रधान आरक्षक के 08 पद, आरक्षक के 14 पद एवं आरक्षक चालक के 04 पद स्वीकृत कया गया है। वर्तमान में वशेष अन्वेषण स्थापना में 01 अतिरिक्त पु लस अधीक्षक , 01 पद प्रधान आरक्षक , 02 आरक्षक चालक एवं 08 आरक्षक कार्यरत हैं तथा शेष पदों की पूर्ति नहीं हुई है। कार्यालय वषेष अन्वेषण स्थापना, छत्तीसगढ़ लोक आयोग का पत्र क्रमांक 5043/ व.अ.स्था./स्था./2013 रायपुर, दिनांक 04.01.2014 तथा पत्र दिनांक 15.05.2015 एवं 01.08.2015 के द्वारा 30 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

तकनीकी शाखा

आयोग में प्राप्त शकायतें जलसंसाधन वभाग , लोक निर्माण वभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा वभाग , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वभाग, पंचायत एवं ग्रामीण वकास वभाग तथा नगरीय संस्थाओं में व भन्न प्रकार के निर्माण कार्यों से संबं धत् होती है। जिनकी जांच हेतु तकनीकी शाखा का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक सामान्य प्रशासन वभाग के माध्यम से मुख्य तकनीकी परीक्षक से जांच कराकर राय ली जाती है परन्तु उनके पास ज्यादा प्रकरण होने के कारण जांच करने में समय लगता हैं। अतः वत्तीय वर्ष 2009-10 में तकनीकी शाखा के पद हेतु मुख्य अ भयंता का 01 पद, कार्यपालन यंत्री के 02 पद, सहायक यंत्री के 03 पद एवं तकनीकी सहायक के 03 पद स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन वभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-2/2008/1-7 दिनांक 30.10.2014 के द्वारा कार्यालय छ.ग. लोक आयोग रायपुर के लये तकनीकी शाखा हेतु वत्तीय सलाहकार का 01 पद, तकनीकी सलाहकार 01 पद एवं उपयंत्री 01 पद की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन

द्वारा लेखा धकारी के पद को अपग्रेड कर वत्तीय सलाहकार कया गया है। तकनीकी सलाहकार के पद पर तकनीकी परीक्षक कार्यालय में पदस्थ श्री आर. पुराम , कार्यपालन अ भयंता को वर्तमान कार्यों के साथ-साथ छ.ग.

लोक आयोग कार्यालय में तकनीकी सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में उपयंत्री- 01 पद रिक्त है।

<u>आवश्यक टीपः- कार्यालय छत्तीसगढ़ लोक आयोग द्वारा आगामी वर्ष के लये कोई लक्ष्य निधारित नहीं कया गया है।</u>

<u>आयोग द्वारा निष्पादित कार्य</u>

1. वत्तीय वर्ष 2016-2017 के प्रारंभ में कुल प्रकरण लंबित थे - 636

   (1) 01.04.2016 से 31.03.2017 तक कुल प्रकरण प्राप्त हुये - 169

   (2) उपरोक्त अव ध में कुल प्रकरण निराकृत कये गये - 169

   (3) 2016-2017 के अंत में लंबित रहे - 636

2. वत्तीय वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में कुल प्रकरण लंबित थे - 636

   (1) 01.04.2017 से 30.11.2017 तक कुल शकायत प्राप्त हुई - 113

   (2) उपरोक्त अव ध में कुल प्रकरण निराकृत कये गये - 74

   (3) 30 नवम्बर 2017 को लंबित प्रकरण - 675

01.04.2017 से 30.11.2017 की अव ध में पूर्ण जांच होने के पश्चात् 04 प्रकरण में आदेश पारित कर संबं धत वभाग को लोक सेवकों के वरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की गई।